बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

आदेश संख्या–12प / प०स०–लो०प्र० / 06–04 / 2026 /606**/ पं०रा० पटना, दिनांक** 21/1/26

उप निदेशक, पंचायती राज, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–226 दिनांक 12.05.2026 के माध्यम से लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा वाद सं०–09 / 2025 में पारित आदेश की प्रति अनुलग्नक सहित विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त आदेश में लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा **श्री राधेश्याम सिंह**, प्रमुख, प्रखंड–फेनहारा, जिला–पूर्वी चम्पारण को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में निहित शक्तियों के दुरूपयोग, विभागीय निदेशों की अवहेलना एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के आरोप में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–44(4) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पदच्युत करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–44(4) के अधीन प्रमुख के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस प्रावधान के आलोक में सरकार द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने–अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित किया गया है।

3. **श्री राधेश्याम सिंह**, प्रमुख, प्रखंड–फेनहारा, जिला–पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध पंचायत समिति की सामान्य बैठक निर्धारित संख्या में नही बुलाये जाने एवं स्थायी समिति की बैठक नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

4. लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आरोपित प्रमुख एवं परिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु विभागीय पत्रांक–9562 दिनांक–24.06.2026, पत्रांक–10124 दिनांक–09.07.2026 एवं पत्रांक–10901 दिनांक–22.07.2026 द्वारा सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 04.08.2026 को की गयी सुनवाई में प्रमुख के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष लिखित अभ्यावेदन के रूप में प्रस्तुत किये।

5. उक्त आरोपों के संबंध में प्रमुख के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन का सार निम्नवत् है :–

यह कि प्रमुख, फेनहारा दिनांक–31.12.2021 को प्रमुख पद पर निर्वाचित हुए है। लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण 04 माह (मार्च–जून, 2024), प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, फेनहारा के स्थानान्तरण के फलस्वरूप 03 माह (जूलाई–सितम्बर, 2024), प्रथम अविश्वास प्रस्ताव के कारण 03 माह (अगस्त–अक्टूबर, 2024) एवं द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के कारण 03 माह(जनवरी–मार्च, 2025) सामान्य बैठक नहीं बुलाई जा सकी। इस प्रकार कुल–41

माह के कार्यावधि में से 13 माह के उपरांत शेष 28 माह में कुल–14 बैठक आहूत किया जाना था, जिसमें से जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार कुल–12 बैठकें बुलाई गयी है।

द्वितीय आरोप स्थायी समिति की बैठक नही बुलाये जाने के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–50(5) क अनुसार " कार्यपालक पदाधिकारी सामान्य स्थायी समिति तथा वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति का पदेन सचिव होगा। प्रत्येक अन्य स्थायी समिति के सचिव के रूप में जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत पदाधिकारी एक पदाधिकारी का नाम निर्दिष्ट करेगा जो साधारणतयाः प्रखंड स्तरीय सम्बध विभाग का प्रभारी होगा।" उक्त के अनुसार जिला दण्डाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सचिव के रूप में कार्य करने हेतु किसी पदाधिकारी के नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण स्थायी समिति की बैठक नही की जा सकी।

6. बिहार पंचायत राज अधिनिमय 42 (1) में के वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रखंड पंचायत समिति की बैठक के लिये तिथि निर्धारण करने की शक्ति प्रखंड प्रमुख को प्रत्यायोजित है। धारा 46 (1) के अन्तर्गत "पंचायत समिति दो माह में कम से कम एक बार कार्य व्यवहार के लिये बैठक करेगी। धारा 46 (3) के अन्तर्गत गठन के बाद पंचायत समिति की पहली बैठक की तारीख अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा तय की जायेगी जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा और प्रत्येक पश्चातवर्ती साधारण बैठक की तारीख पंचायत समिति की पूर्व बैठक में तय की जायेगी। परन्तु प्रमुख, पर्याप्त कारणों से बैठक की तारीख को बदलकर बाद की तारीख को रख सकेगा। प्रमुख, जब कभी वह उचित समझे और सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई से अन्यून सदस्यों के लिखित निवेदन पर और ऐसे निवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर पड़नेवाली तारीख को विशेष बैठक बुला सकेगा। ऐसे निवेदन में उद्देश्य विनिर्दिष्ट रहेगा, जिसके लिए बैठक बुलाने का प्रस्ताव हो। यदि प्रमुख विशेष बैठक नही बुला पाता हो तो उप–प्रमुख या सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई सदस्य ऐसे निवेदन के उपस्थापन के पन्द्रह दिनों की अनधिक अवधि के भीतर किसी दिन विशेष बैठक बुला सकेगा और कार्यपालक पदाधिकारी से सदस्यों को नोटिस देने तथा बैठक आयोजित करने के लिए यथावश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा।

7. श्री राधेश्याम सिंह, प्रमुख प्रखंड फेनहारा दिनांक 31.12.2021 को अपने पद पर निर्वाचित हुये। प्रखंड स्तर पर माननीय प्रमुख द्वारा पंचायत समिति की बैठक दिनांक 31.01.2022, 21.04.2022, 18.07.2023, 16.01.2024, 22.11.2022, 18.01.2024, 12.03.2025, 02.04.2025 एवं 16.04.2025 को कुल 12 बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिनांक–16.01.2024 एवं 18.01.2024 विशेष बैठक तथा 12.03.2025 एवं 02.04.2025 गणपूर्ति कोरम के अभाव में स्थगित हो गई।

इस प्रकार प्रमुख द्वारा दिनांक 21.07.2025 तक 21 बैठक के विरूद्ध मात्र 08 सामान्य बैठक आयोजित की गई है, जो पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 42(1) 46(1) एवं 46(3) का उल्लंघन है।

8. बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 50 के अन्तर्गत स्थायी समिति के गठन धारा 51 के अन्तर्गत स्थायी समिति के कार्य एवं धारा 52 के अन्तर्गत स्थायी समितियों की प्रक्रिया निर्धारित है। विभागीय पत्रांक–4557 दिनांक–18.07.2019 के "कंडिका–02 (1) के अनुसार पंचायत समिति की प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक दो महीने में कम–से–कम एक बार अनिवार्य रूप से की जाए। आवश्यकता होने पर एक से अधिक बार भी बैठक की जा सकती है। माननीय प्रमुख द्वारा वाद दायर किये जाने की तिथि 21.07.2025 तक एक भी स्थायी समिति की बैठक आहूत नहीं की गई। इस प्रकार प्रमुख द्वारा एक भी स्थायी समिति की बैठक आहूत नही किया जाना पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 50, 51 एवं 52 का उल्लंघन है।

विद्वान लोक प्रहरी की अनुशंसा एवं आरोपों की गंभीरता के आलोक में आरोपित प्रमुख **श्री राधेश्याम सिंह** को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–44(4) के अधीन आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रखण्ड–फेनहारा, जिला–पूर्वी चम्पारण के प्रमुख के पद से पदच्युत किया जाता है।

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

30/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 12प/प०स०–लो०प्र०/06–04/2026/1549/पं०रा० पटना दिनांक 2.11.26
प्रतिलिपिः : श्री राधेश्याम सिंह, प्रमुख, प्रखंड–फेनहारा, जिला–पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 12प/प०स०–लो०प्र०/06–04/2026/1549/पं०रा० पटना दिनांक 2.11.26
प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त–सह–लोक प्रहरी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव

कृ०पृ०उ०...

ज्ञापांक : 12प/प०स०–लो०प्र०/06–04/2026/15499/पं०रा० पटना दिनांक 2/11/26

प्रतिलिपि : सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को जनसाधारण की जानकारी हेतु समाचार के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 12प/प०स०–लो०प्र०/06–04/2026/15499/पं०रा० पटना दिनांक 2/11/26

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 12प/प०स०–लो०प्र०/06–04/2026/15499/पं०रा० पटना दिनांक 2/11/26

प्रतिलिपिः आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

30/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव